न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 081/2011

1. जन्टा सिंह पुत्र श्री साधुराम
2. सुमित्रा पत्नि श्री हंसा सिंह पुत्र साधूराम
3. राजू
4. सरजीत
5. परमजीत
6. हेमराज

पुत्र श्री हंसा सिंह पुत्र साधुराम

जातियान थोरी नायक निवासीयान जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. सोनू
2. पिन्टू
3. लालचन्द
4. राणी

पुत्रगण/पुत्री जीत सिंह

5. रामपाल
6. भिक्का
7. रूषा
8. कृष्णा

पुत्रगण/पुत्रीयांन जगदीश

जातियान थोरी नायक निवासीयान जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा, विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता — वादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21.01.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92 ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वाद पत्र को समझने हेतु इन्तकाल संख्या 41 के अनुसार हिस्सा प्रतिवादीगण के वंश को भी दर्शाया जा रहा है। कुल भूमि 52 बीघा 5 बिस्वा है।

प्रारम्भ में चक 15 एल.एन.पी. द्वितीय ए के खसरा नम्बर 34 में मसाना वल्द नानक निस्फ परसाराम वल्द बुधा निस्फ 52 बीघा 5 बिस्वा नहरी भूमि दर्ज थी जिसमें मसान निस्फ हिस्सेदार की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्रों अरजन एवं साधूराम के नाम मृतक के हिस्से की कृषि भूमि का इन्तकाल संख्या 41 दिनाक 11.10–2001 को दर्ज हुआ। नकल इन्तकाल दर्ज होना की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है।

अर्जनराम के हिस्से में 13 बीघा 2–1/2 बिस्वा साधूराम के हिस्से में 13 बीघा 2–1/2 बीघा भूमि इन्तकाल संख्या 41 के अनुसार प्राप्त हुई अर्जुनराम ने अपने हिस्से में से 13 बीघा 1 बिस्वा का बैयनामा बहक राजेराम लक्ष्मीनारायण पिसरान चौ. हजारीराम दिनांक 07.12.1964 को कर दिया जिसका इन्तकाल संख्या 45 दिनाक 16.03.1963 को दर्ज हो

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

गया। इस प्रकार अर्जुनराम ने अपना तमाम हिस्सा फरोक्त कर दिया। खाता संख्या 34 में हजारी राम के लड़के क्रमशः राजेराम व लक्ष्मीनारायण ने अपना खाता अलग कर लिया, शेष खाता मुरब्बा बन्दी एवं वर्तमान जमाबन्दी में से निम्न प्रकार तैमूद हुआ। खाता संख्या 36/82 नया पुराना मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 22 ता 25 की 1.012 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 10 ता 12 व किला नम्बर 20 के 1.012 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 ता 15 के 3.795 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 4 ता 14 व 25/1 के कुल 2.846 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 54 के किलां नम्बर 15 कुल योग क्षेत्रफल 8.918 हैक्टर वाके चक 15 एल.एन.पी. द्वितीय जिसमें वादी 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादीगण 3/4 हिस्सा दर्ज है। जबकि मौजूदा जमाबन्दी में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबा लगभग पूर्व में खाते की भूमि में 4 बीघा कम कर दिया है तो भी वादीगण का हिस्सा 13 बीघा 2–1/2 बिस्वा 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का दर्ज होना चाहिए । इसी अधिकार की घोषणा वादी करवाने का हकदार है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि आप राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाकर वादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज करवा दें, लेकिन वे दिनाक 25.05.2010 को बमुकाम जोगीवाला में साफ इन्कार हो गए । यही वाद हेतुक वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का प्राप्त है।

विवादित 1/3 हिस्से की घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर वादीगण भूमि का खाता विभाजन भी चाहता है इसलिये स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार से पक्षकार प्रतिवादी लैण्ड होल्डर होने के कारण संयोजित किया गया है।

वाद पत्र में कृषि भूमि वाके चक 15 एल.एन.पी द्वितीय है इसलिये अदालतवाला के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है जो उचित कोर्ट फीस पर समयावधि में प्रस्तुत है।

वादीगण की 13 बीघा 1–1/2 बिस्वा भूमि जमाबन्दी के हिसाब से प्रारम्भ में जो आई है, बनती है लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में लगभग 9 बीघा 1/4 बनती है। जमाबन्दी सन् 2009 के अनुसार 12 बीघा आ रही है जिसका विभाजन कर कब्जा 3 बीघा शेष का कब्जा दिलाया जावे, तथा तब प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि ता फैसला वाद प्रतिवादी विवादित भूमि वाके चक 15 एल.एन.पी. द्वितीय ए का 8.918 हैक्टर भूमि से रहने बैय करने से निषेध रहे।

अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से आदेशित एवं आज्ञापित किया जावे :–

(क) इस अमर की घोषणा की आज्ञाप्ति जारी की जावे कि वादीगण चक 15 एल.एन.पी. द्वितीय ए की खतौनी 86 नई, 82 पुरानी, के मुरब्बा नम्बर 40, 51, 52, 53, 54 की कुल क्षेत्र 8.918 हैक्टर भूमि में 1/3 हिस्सा के खातेदार है, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(ख) यह कि विभाग की आज्ञाप्ति वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य अच्छी एवं माड़ी के हिसाब से उनके हिस्से अनुसार जारी की जावे।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि को रहन, बैय करने से निषेध रहे की डिक्री जारी की जावे।

(ड़) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायसंगत व हम वादीगण के हित में प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत् होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होनें पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार श्रीगंगानगर से

लगातार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

रिपोर्ट प्राप्त की गई रिपोर्ट के अन्तर्गत कथन किया गया कि वादीगण के पिता साधुराम व इनके ताऊ अर्जनराम निस्फ अर्थात 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 34 तादादी 52 बीघा 05 बिस्वा में दर्ज थे। इस प्रकार उक्त 52 बीघा 05 बिस्वा में वादीगण का 1/4 हिस्सा अर्थात 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि हिस्से में आती है चुकि वादी के ताऊ अर्जनराम नें अपनें सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा अर्थात 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि अन्य को विक्रय कर दी जिसमे शेष भूमि 39 बीघा 3 बिस्वा भूमि बची है, जिसमें वादीगण की 13 बीघा 1 बिस्वा भूमि है जिसमें उनका 1/3 हिस्सा ही बनता है भू. प्रबन्ध विभाग नें खसरा नम्बर 34 को विभिन्न मुरब्बा नम्बर में लगभग 36 बीघा बीघा भूमि हुई है।

चुकि उक्त 36 बीघा भूमि में से वादी की 13 बीघा भूमि है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा ही बनता है तथा प्रतिवादीगण का 26 बीघा हिस्सा बनता है जिसमें प्रतिवादी का 3/4 हिस्सा दर्ज किया गया है अतः राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करना चाहीये था फिर भी आर.टी.ए. की धारा 88 के तहत वादीगण को 1/4 हिस्सा की बजाय 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है, तो उससे रिकार्ड भी दुरूस्त होगा तथा राज्य पक्ष को कोई एतराज नहीं है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए वादीगण चक 15 एल.एन.पी. द्वितीय ए की खतौनी 86 नई, 82 पुरानी, के मुरब्बा नम्बर 40, 51, 52, 53, 54 की कुल क्षेत्र 8.918 हैक्टर भूमि में 1/3 हिस्सा के खातेदार घोषित करनें बाबत निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा वादी के दावा के सम्बध में कोई एतराज नहीं करते हुए कथन किया कि उक्त दावा को स्वीकार किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 15 एल.एन.पी. द्वितीय ए की खतौनी 86 नई, 82 पुरानी, के मुरब्बा नम्बर 40, 51, 52, 53, 54 की कुल क्षेत्र 8.918 हैक्टर भूमि में वादीगण के पिता साधुराम पुत्र मस्ताना को 1/3 हिस्सा तथा परसाराम पुत्र बुधराम को 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, एवम
सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर